न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00071

1. लक्ष्मण सिंह आत्मज स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
2. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
3. करण सिंह आत्मज स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
4. रघुवीर सिंह आत्मज स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
5. सरोज कवंर पुत्री स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
6. नन्द कंवर पुत्री स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत ।
7. पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 शिव सिंह जाति राजपूत निवासीगण खेडली महाराज तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रतन कंवर पुत्री गोपीचन्द पत्नी मोती सिंह जाति धोला निवासी खेडली महाराज हाल निवासी कैथूनीपोल सावरमती कॉलोनी, कोटा मार्फत राजकीय महारानी कन्या विद्यालय रामपुरा, कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 रतनकंवर ने अधीनस्थ न्यायालय (लोक अदालत) में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया किया प्रार्थिया की भूमि भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 1.45 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि के पट्टे पर सुल्तान सिंह जाति राजपूत ग्राम खेडली महाराजा का नाम लिखा हुआ है । सुल्तान सिंह की मृत्यु करीब 35 वर्ष पूर्व हो गयी है और वह न तो काश्तकार है और न ही खातेदार हैं । अतः उक्त भूमि में से सुल्तान सिंह का नाम हटाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी से सुल्तानसिंह का नाम हटाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2002 जिसमें जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 12.07.99 को खारिज कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी के पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपनी उपस्थिति दे दी है । उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक सुल्तानसिंह के वारिसान अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी ने दिनांक 15.07.2015 को वाद प्रस्तुत किया जिसे लोक अदालत में उसी दिन डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा के खाते एवं काश्त की भूमि है जिसमें अपीलान्ट का हित–निहित है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी अपने दादा के कब्जे की होने का कथन किया है और स्वयं को उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वादिनी के वाद को प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को ही डिक्री कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.09.2016 को जमाबन्दी एंव9 नामान्तरकरण की नकल निकलवाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा मृतक सुल्तान सिंह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में कैम्प में पेश किया गया और यह अंकित किया कि वो वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं और गलती से सुल्तानसिंह का कब्जा जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में इनको वादी मानते हुए डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । विवादित आराजी के बाबत् पक्षकारों में पूर्व में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है । सुल्तान सिंह के उत्तराधिकारियों को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है । सुल्तान सिंह अपीलान्ट के दादा हैं और उनका वादग्रस्त आराजी में हित निहित है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । प्रार्थना पत्र को दावे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनलांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एसएससी 1994 वोल्यू0 पेज 01 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी के नाम रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 15.07.2015 को पेश किया गया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि सुल्तान सिंह की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है उनके नाम जमाबन्दी में गलत अंकित है इसलिए उनका नाम तर्क किया जावे । इस प्रार्थना पत्र को दावा मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि सुल्तान सिंह उनके दादा थे और वो उनके वारिस हैं । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दावा मानते हुए लोक अदालत में सुल्तान सिंह के वारिस को तलब किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 07.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा